निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 माघ 1937 (श0)
(सं0 पटना 158) पटना, शुक्रवार, 19 फरवरी 2016

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

12 जनवरी 2016

सं० अ0सू0सं0-02/आ0-04/12-92/एम0—गया जिलान्तर्गत मौजा-मुबारक चक, खाता संख्या-34,14,14,137 एवं 134, खेसरा संख्या-504, 501, 508, 502, 507 में मेसर्स बी0 एस0एस0 प्रोजेक्ट प्रा0लि0 द्वारा स्वचालित क्रशर संचालन हेतु भंडारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति का आवेदन जिला पदाधिकारी, गया के समक्ष समर्पित किया गया था, जिसे जिला पदाधिकारी, गया ने अपने पत्रांक-1307/खनन दिनांक 31.07.10 के द्वारा विभाग को प्रेषित किया गया था। जिला पदाधिकारी, गया के एतद् पत्र में कतिपय प्रतिकूल तथ्यों के होने के बावजूद आवेदक कम्पनी को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से एवं निजी लाभ के लिये आवेदक कम्पनी के पक्ष में श्री इन्द्रदेव पासवान, तत्कालीन अपर निदेशक, खान द्वारा सुरक्षित जमा राशि के निर्धारण की अनुशंसा की गयी, जबकि उक्त कंपनी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी थी।

2. इस कृत्य के लिए विभागीय पत्रांक-362/एम0, दिनांक 13.02.12 से स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश दिया गया तथा स्मार पत्रांक-715/एम0, दिनांक 19.03.12, 921/एम0, दिनांक 12.04.12, 1210/ एम0, दिनांक 19.05.12 एवं पत्रांक- 1377/एम0, दिनांक 29.05.15 द्वारा श्री पासवान को स्मारित किया गया। श्री पासवान ने अपने पत्र दिनांक 30.05.12 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का उत्तर दिया गया। श्री पासवान के प्रस्तुत स्पष्टीकरण को

असंतोषजनक पाते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-1014/एम0 दिनांक 15.04.13 द्वारा तीन कंडिकाओं में आरोप-पत्र (प्रपत्र 'क') गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया जो निम्न है :-

i. जिला पदाधिकारी, गया द्वारा प्रतिकूल प्रतिवेदन एवं उप निदेशक, खान एवं भूतत्व, मुख्यालय की टिप्पणी में उठाई गयी आपत्तियों एवं सुझावों के बावजूद आपके द्वारा बी0एस0एस0 प्रोजेक्ट (प्रा0लि0) के लिए सुरक्षित जमा राशि के निर्धारण की अनुशंसा अपने निजी लाभ एवं आवेदक कम्पनी को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया कृत्य है, जो भ्रष्ट आचरण एवं कदाचार का द्योतक है।

ii. बी0एस0एस0 प्रोजेक्ट (प्रा0लि0) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिकूल प्रतिवेदन का आपके द्वारा बिल्कुल संज्ञान नहीं लिया गया है, जो नाजायज लाभ पहुँचाने के लिए समाहर्त्ता के बेसिक रिपोर्ट की अनदेखी है और वरीय पदाधिकारी के आचरण के विरूद्ध है।

iii. सुरक्षित जमा राशि निर्धारण एवं पट्टा के निष्पादन में हुई अनियमितता के लिए आप उत्तरदायी हैं।

3. विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में आरोपित सेवानिवृत्त पदाधिकारी द्वारा संचालन पदाधिकारी-अपर विभागीय जाँच आयुक्त के समक्ष अपने पत्रांक-12 (आवास), दिनांक 28.05.13 के द्वारा स्पष्टीकरण का उत्तर प्रस्तुत किया। अपर विभागीय जाँच आयुक्त-सह-अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, पटना के ज्ञाप संख्या-69/गो0, दिनांक 21 जून 2013 के निदेश के आलोक में आरोपित के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2870/एम0, दिनांक 20.11.13 द्वारा बिन्दुवार विभागीय मंतव्य अपर विभागीय जाँच आयुक्त को भेजा गया।

4. सचिव, जल संसाधन विभाग-सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के द्वारा अपने पत्रांक-140/अ0वि0जां0आ0, दिनांक 17.03.15 द्वारा आरोप सं0-1 एवं 3 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप संख्या-2 को प्रमाणित होने का अभिमत अंकित करते हुए जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। आरोपित सेवानिवृत्त पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक- 1565/एम0, दिनांक 14.05.15 द्वारा द्वितीय-कारण पृच्छा पर 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर जवाब मांगा गया। श्री पासवान द्वारा दिनांक 18.05.15 को जवाब प्रस्तुत किया गया।

5. जाँच-प्रतिवेदन में जाँच प्राधिकार के अंकित अभिमत एवं आरोपित सेवानिवृत्त पदाधिकारी के द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा के क्रम में जवाब की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में विभागीय पत्रांक-2238/एम0, दिनांक 23.06.15 और पत्रांक 2391/एम0, पटना दिनांक 01.07.15 के द्वारा जिलाधिकारी, गया से पूछा गया कि अवैध रूप से भंडारित पत्थर और बिक्री किये गये पत्थर आदि के बारे में क्या कानूनी कार्रवाई की गयी। इस पर जिला पदाधिकारी, गया ने अपने पत्रांक-1248, दिनांक 02.07.15 द्वारा जवाब दिया कि उन्होंने बिहार खनिज (अवैध खन, परिवहन, भंडारण निवारण) नियमावली 2003 के नियम-7-1(d) एवं 8(d) के तहत अवैध रूप से भंडारित खनिज का खनिज मूल्य, रॉयल्टी, जुर्माना, भुगतेय किस्त एवं ब्याज आदि जोड़कर कुल रु0 1,37,93,505/-(एक करोड़ सैंतीस लाख तिरानवे हजार पांच सौ पांच) की डिमाण्ड नोटिस संबंधित कम्पनी बी0एस0एस0 प्रोजेक्ट

प्रा0लि0 को भेज दी है, और उन्हें तीस दिनों का समय दिया गया है। उक्त राशि में रु0 33,33,300/-(तैंतीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ) तृतीय किस्त की राशि और रु0 22,66,644/-(बाईस लाख छियासठ हजार छः सौ चौवालीस) तृतीय किस्त के सूद की राशि शामिल है। यदि उसे घटा दिया जाता है, (क्योंकि वह बाद में भुगतेय थी) तो भी उक्त खनिज की जब्ती के बाद समाहर्त्ता, गया के प्रतिवेदन प्राप्त होने के तुरंत बाद कुल रु0 81,93,561/-(इकासी लाख तिरानवे हजार पांच सौ इकसठ) (अवैध भंडारित खनिज का मूल्य रु0 75,65,020+अवैध भंडारित खनिज की रॉयल्टी रु0 6,18,541/- तथा क्रशर स्थल पर अवैध रूप से भंडारण के जुर्माना की रु0 10000/- (दस हजार) की वसूली हेतु डिमांड नोटिस निर्गत करने के लिए समाहर्त्ता, गया को निदेशित किया जाना चाहिए था, किन्तु तत्कालीन उच्चत्तम तकनीकी पदाधिकारी श्री इन्द्रदेव पासवान (तत्कालीन अपर निदेशक, खान एवं भूतत्व) ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे आवेदक कम्पनी के साथ बन्दोबस्ती हेतु सुरक्षित जमा निर्धारण का प्रस्ताव दे दिया, जो निश्चित रूप से उनकी बदनीयती एवं कदाचार का द्योतक है। उनके इस कृत से कम-से-कम रु0 81,93,561/-(इकासी लाख तिरानवे हजार पांच सौ इकसठ) राजस्व की क्षति बिहार सरकार को हुई, जिसके लिए आरोपित पदाधिकारी जिम्मेवार हैं।

6. अतः सम्यक् समीक्षोपरांत श्री इन्द्रदेव पासवान, तत्कालीन अपर निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना, (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध गंभीर आरोपों में दोषी पाते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी0) के तहत 50 प्रतिशत पेंशन स्थायी रूप से जब्त करने का शास्ति अधिरोपित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुशील कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

<u>आरोपित पदाधिकारी का व्यक्तिगत विवरणः-</u>

नाम-श्री इन्द्रदेव पासवान
पिता का नाम- स्व0 हरखु पासवान
पता- एच0आई0जी0-4 (SF), हाउसिंग कॉलोनी, धनवाद,
झारखण्ड, 826001
जन्म तिथि - 28.10.1953
जि0ख0 पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण-21.06.1983
सेवा सम्पुष्टि की तिथि- 17.12.1987
प्रोन्नति का पद-अपर निदेशक (सेवानिवृत्त)।
पी0पी0ओ0 नं0-201411111122

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 158-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in